न्यायिक जवाबदेही और के. वीरास्वामी निर्णय, 1991

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

उपराष्ट्रपति ने [आंतरिक जाँच/इन-हाउस इनक्वायरी] के संवैधानिक आधार को चुनौती दी और न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर नकदी जब्त होने के बाद [के. वीरास्वामी निर्णय, 1991] की समीक्षा की मांग की, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ [FIR] याचिकाओं को खारिज कर दिया था तथा आंतरिक जाँच जारी रखने की अनुमति दी थी।

- **आंतरिक जाँच:** [भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)] द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा आंतरिक जाँच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ **प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।**
  - दोषी न्यायाधीशों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियाँ उन्हें सौंपे गए **कार्य को स्थानांतरित करने** या वापस लेने तथा संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ **महाभियोग की सिफारिश करने** तक सीमित हैं।
  - संविधान के तहत, [अनुच्छेद 124] के तहत महाभियोग एकमात्र संवैधानिक निष्कासन प्रक्रिया है, लेकिन **75 वर्षों में यह कभी सफल नहीं हुई।**
  - वर्ष 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने [CBI] को **जस्टिस एस. एन. शुक्ला** के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी, जबकि **CJI दीपक मिश्रा ने** [महाभियोग] की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया था।
- **के. वीरास्वामी निर्णय, 1991:** इसने न्यायाधीशों को **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के तहत लोक सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन अभियोजन (FIR दर्ज करना) के लिये **मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी की आवश्यकता होती है,** जिससे न्यायपालिका को अंतर्निहित प्रतिरक्षा के साथ कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलती है।
- **संविधान के तहत उन्मुक्ति: राष्ट्रपति और [राज्यपालों (अनुच्छेद 361)]** के विपरीत, संविधान के तहत **न्यायाधीशों को कोई उन्मुक्ति नहीं है।**
  - उपराष्ट्रपति का तर्क है कि **अभियोजन की मंजूरी** उस प्राधिकारी से मिलनी चाहिये जो लोक सेवक को नियुक्त करता है, अर्थात् **भारत के राष्ट्रपति,** जिन्हें **अनुच्छेद 53 के तहत कार्यकारी शक्तियाँ** प्राप्त हैं।

और पढ़ें: [न्यायिक स्थानांतरण और इन-हाउस इनक्वायरी]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/judicial-accountability-and-the-k-veeraswami-judgment-1991